

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 41/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रामलाल पुत्र श्री मुल्तानराम जाति गाडिया लौहार, निवासी-ग्राम बिरानी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1. ग्राम पंचायत बिरानी जरिये सरपंच तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बिरानी बाबत पट्टा संख्या 12, दिनांक
20.04.2017

- उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह चौहान उपस्थित।
 2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 23.07.2019

प्रार्थी रामलाल पुत्र श्री मुल्तानराम जाति गाडिया लौहार निवासी ग्राम बिरानी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी ग्राम पंचायत बिरानी जरिये सरपंच तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर के विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को मिसल संख्या 27 को जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के मालिकाना हक, कब्जे व उपयोग का 244 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड ग्राम बिरानी में आया हुआ है। प्रार्थी का इस भूखण्ड पर उपयोग उपभोग पीढ़ियों से निरन्तर आज तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है, उक्त भूखण्ड के पडौस निम्न प्रकार से है:-

पडौस:-

- उत्तर में:- आम रास्ता
दक्षिण में:- निकाल व आम रास्ता
पूर्व में:- सार्वजनिक गवाड़
पश्चिम में:- सवाईराम का प्लॉट

उक्त भूखण्ड की भुजाएं उत्तर में 48 फीट, दक्षिण में 51 फीट, पूर्व में 34 फीट, पश्चिम में 55 फीट, यानि $49.5 \times 44.5 = 2203$ वर्ग फीट तथा कुल क्षेत्र 244 वर्गगज है तथा भौतिक रूप से प्रार्थी का पीढियों से कब्जा है।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने पर दिनांक 10.10.2017 को उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ जिला जोधपुर से उक्त भूखण्ड का पंजीयन करवाया गया। प्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण हेतु आवेदन करने पर बैंक द्वारा बताया गया कि उक्त पट्टा पंचायत नियम 158 में जारी किया हुआ है जो कि आबादी भूमि का रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन किया हुआ होने से ऋण मिलना मुश्किल है तथा उक्त पट्टा से पूर्ण अधिकार हासिल नहीं होता है। इसके पश्चात् सचिव ग्राम पंचायत बिरानी से सम्पर्क करने पर बताया कि आप का पट्टा नियम 158 में निःशुल्क जारी किया हुआ है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में व्यथित होकर पट्टा संख्या 12 दिनांक 20.04.2017 गलत गैर कानूनी व विधिक प्रावधानों के विपरित होने, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड पर बने पुराने मकान को नियमन नहीं कर पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया जबकि निगरानीकर्ता द्वारा नियम 157 के तहत पट्टे की मांग की गई थी इस प्रकार उक्त पट्टा खारिज योग्य होने से संशोधित पट्टा जारी करवाने, ग्राम पंचायत द्वारा मेरी जाति गाडोलिया लौहार होने से भूलवश नियम 158 के तहत पट्टा जारी कर दिया गया जबकि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा नियम 157 के तहत मांग की गई थी इसलिए उक्त पट्टा खारिज कर संशोधित पट्टा जारी करवाने, ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जाता है तो प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार होने, ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को कमजोर वर्ग का समझकर नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया जबकि उक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का पुराना मकान बना हुआ है जिसको नियमितकरण करके पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया वह विधि सम्मत व कानूनी नही होने से खारिज योग्य होने, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड पर पुराना मकान बना होने से नियम 157 में पट्टा जारी नहीं कर प्रार्थी को कमजोर वर्ग का मानकर पट्टा जारी कर नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 में जारी पट्टा खारिज कर नियम 157 के तहत पट्टा जारी करवाने, प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का होने व पट्टा नियमों की कानूनी जानकारी नहीं होने से बैंक में ऋण लेने हेतु आवेदन करने पर जानकारी हुई की पट्टा नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है इसलिए जानकारी के अभाव में निगरानी पेश करने में समय व्यतीत होने आदि आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को मिसल संख्या 27 को जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त कर

नियम 157 के तहत प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह चौहान ने अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को मिसल संख्या 27 को जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त कर नियम 157 के तहत प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल चौधरी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी उक्त पट्टा संख्या 12 को निरस्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई एतराज नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत प्रार्थी को यदि पुनः पट्टा जारी किया जाता है तो ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि होगी जो कि निश्चित तौर पर राजकोष की आय में भी वृद्धि होगी। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त कर नियम 157 के तहत प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी व बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत बिरानी की बैठक कार्यवाही में पट्टा मिसल संख्या 27/20.04.2017 की आज्ञासूची की दिनांक 20.05.2017 के विवरण में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क राशि पंचायत कोष में नकद जमा कराने पर पट्टा जारी करने करने का सर्व सहमति से निर्णय लिया गया, किन्तु उक्त पट्टा नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी कर दिया गया। अतः प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बिरानी द्वारा दिनांक 20.04.2017 को जारी पट्टा संख्या 12 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिरानी, पंचायत समिति भोपालगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर